संख्या–159 / 15–7–2017–1(29) / 2014

प्रेषक,

अनिल कुमार बाजपेई,
संयुक्त सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

शिक्षा निदेशक (मा0)एवं सभापति,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश,लखनऊ।

शिक्षा अनुभाग–7 लखनऊः दिनांकः 07 अप्रैल, 2017

विषयः–**सामान्य निर्वाचन, 2017 के कारण केवल वर्ष 2017 हेतु प्रदेश में परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों का शैक्षिक सत्र माह जुलाई से प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।**

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासनादेश संख्या–1289 / 15–7–2014,दिनांक 15.10.2014 के क्रम में अपने पत्रांक–परिषद–9 / डी0ई0 / 38, दिनांक 03 फरवरी, 2017 का कृपया संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा पूर्व में निर्धारित शैक्षिक सत्र 01 अप्रैल के स्थान पर 01 जुलाई से प्रारम्भ किये जाने के संबंध में इण्टरमीडिएट शिक्षा अधिनियम, 1921 के अधीन निर्मित परिषद् विनियमों के अध्याय–एक, सात एवं बारह में उल्लिखित प्राविधानों में संशोधन से सम्बन्धित विनियम संशोधन का प्रारूप संलग्न करते हुए अधिनियम की धारा–16(2) के अन्तर्गत उक्त विनियमों में संशोधन की स्वीकृति प्रदान किये जाने का अनुरोध किया गया है।

2– इस सम्बंध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि परिषद् विनियमों में यद्यपि प्रस्तावित संशोधन की अपरिहार्यता नहीं है, किन्तु सामान्य निर्वाचन–2017 के कारण माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड की परीक्षायें विलम्बित हुई है। अतः उक्त के दृष्टिगत प्रकरण में निम्नलिखित व्यवस्था सुनिश्चित की जायः–

(क) सामान्य निर्वाचन–2017 के कारण माध्यमिक शिक्षा परिषद की बोर्ड की परीक्षायें विलम्बित हुई है। अतः वर्ष 2017 का शैक्षणिक सत्र विलम्ब से 01 जुलाई से प्रारम्भ होगा परन्तु वर्ष–2018 का शैक्षिक सत्र पूर्व निर्धारित समय से पुनः 01 अप्रैल,2018 से प्रारम्भ होगा।

(ख) बोर्ड परीक्षायें विलम्बित होने की दशा में वर्ष 2017 का शैक्षिक सत्र 01 जुलाई से आरम्भ होने की दशा में कार्यरत शिक्षकों / प्रधानाचार्यो को किसी भी तरह का सत्रांन्त लाभ नहीं दिया जायेगा।

अतः अनुरोध है कि कृपया उपरोक्तानुसार अग्रेतर कार्यवाही तत्काल सुनिश्चित की जाय। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि उक्त व्यवस्था नितान्त अस्थायी रूप से शैक्षिक सत्र–2017 के लिए ही की जा रही है। वर्ष–2018 का शैक्षिक सत्र पूर्व निर्धारित समय से पुनः 01 अप्रैल,2018 से प्रारम्भ होगा।

भवदीय,

(अनिल कुमार बाजपेई)
संयुक्त सचिव।

पु0संख्या एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि सचिव,माध्यमिक शिक्षा परिषद उ0प्र0 इलाहाबाद को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

आज्ञा से,
07/4/17

(अनिल कुमार बाजपेई)
संयुक्त सचिव।

Vinium..Vi.

प्रेषक,

सचिव,
माध्यमिक शिक्षा परिषद,
उत्तर प्रदेश,इलाहाबाद।

सेवा में,

समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक,
उत्तर प्रदेश।

पत्रांकःपरिषद–9/ 15 दिनांक 12 अप्रैल,2017

विषयः सामान्य निर्वाचन 2017 के कारण वर्ष–2017 हेतु प्रदेश में परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त विद्यालयों का शैक्षिक सत्र माह जुलाई से प्रारम्भ किये जाने के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक प्रकरण के सम्बन्ध में शासन के पत्र संख्या–159/15–7–2017 –1(29)/2014 दिनांक 07 अप्रैल 2017 की प्रति आपकों संलग्न कर इस आशय से प्रेषित है कि अपने जनपद के समस्त मान्यता प्राप्त राजकीय/अशासकीय सहायता प्राप्त/अशासकीय गैर सहायता प्राप्त विद्यालयों के प्रधानों को उपरोक्त शासनादेश से अवगत कराया जाना सुनिश्चित करायें।

प्रश्नगत शासनादेश परिषद की वेवसाइट **upmsp.edu.in** से भी डाउन लोड कर प्राप्त किया जा सकता है।

संलग्न–यथोक्त।

भवदीय,

श्रीमती(शैल यादव)
सचिव। 12/4/17

पृष्ठांकन संख्याःपरिषद–9/ 15(1-7) दिनांक 12 अप्रैल,2017

उपर्युक्त पत्र की प्रतिलिपि संलग्नक सहित निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1– संयुक्त सचिव,शिक्षा–7 अनुभाग,उ0प्र0शासन,सचिवालय,लखनऊ।
2– शिक्षा निदेशक(मा0) एवं सभापति,मा0शि0प0,शिविर कार्यालय 18 पार्क रोड़,लखनऊ।
3– अपर शिक्षा निदेशक(मा0)/अपर शिक्षा निदेशक,पत्राचार,इलाहाबाद।
4– अपर शिक्षा निदेशक,व्या0शिक्षा,शिविर कार्यालय,लखनऊ।
5– समस्त मण्डलीय संयुक्त शिक्षा निदेशक,उ0प्र0।
6– अपर सचिव,मा0शि0प0,क्षे0का0मेरठ/बरेली/वाराणसी/इलाहाबाद।
7– उप सचिव(गो0)/समन्वय/सिस्टम सेल/केन्द्रीय यूनिट/केन्द्रस्थापना/पा0पु0रा0,मा0शि0प0, मुख्यालय,इलाहाबाद।

श्रीमती(शैल यादव)
सचिव।

12/4/17